

-: न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0) :-

क्रमांक : ५३१/२०२६

उज्जैन, दिनांक-२६/३/२०२६

//रिमाण्ड ड्यूटी आदेश //

प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से माह अप्रैल २०२६ में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में जिला उज्जैन के विभिन्न थानों, आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड के निराकरण हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके नाम के आगे दर्शाये गये दिनांकों पर दोपहर ०३:०० बजे से ०५:०० बजे तक अपने न्यायालय में आवश्यक कर्मचारियों सहित उपस्थित होकर, प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड का निराकरण करेंगे :-

तहसील उज्जैन			
क	अधिकारी का नाम	पद	अप्रैल २०२६
१	सुश्री अपूर्वा मिश्रा	जे.एम.एफ.सी.	०३/०४/२०२६
२	श्रीमती सारिका भाटी	जे.एम.एफ.सी.	०४/०४/२०२६
३	श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	०५/०४/२०२६
४	सुश्री दीपिका यादव	जे.एम.एफ.सी.	१२/०४/२०२६
५	सुश्री सृष्टि पटेल	जे.एम.एफ.सी.	१४/०४/२०२६
६	श्रीमती पूजा भदौरिया	जे.एम.एफ.सी.	१९/०४/२०२६
७	श्रीमती प्रियंका मालपानी राठी	जे.एम.एफ.सी.	२६/०४/२०२६
तहसील नागदा			
१	श्री मनीष पाण्डे	जे.एम.एफ.सी.	०३, १२/०४/२०२६
२	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	जे.एम.एफ.सी.	०४, १४/०४/२०२६
३	सुश्री सोनम शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	०५, १९, २६/०४/२०२६
तहसील बड़नगर			
१	श्री गौरव चौरसिया	जे.एम.एफ.सी.	०३/०४/२०२६
२	श्रीमती ऋचा गोयल बंसल	जे.एम.एफ.सी.	०४, १४/०४/२०२६
३	श्रीमती भावना जाटवा	जे.एम.एफ.सी.	०५, १९/०४/२०२६
४	सुश्री सोनम डेहरिया	जे.एम.एफ.सी.	१२, २६/०४/२०२६
तहसील तराना			
१	श्री शिरीष शुक्ला	जे.एम.एफ.सी.	१२, १९/०४/२०२६
२	श्रीमती संगीता शुक्ला	जे.एम.एफ.सी.	१४, २६/०४/२०२६
३	श्री आयुष अरोरा	जे.एम.एफ.सी.	०३, ०४, ०५/०४/२०२६
तहसील महिदपुर			
१	सुश्री चेतना दशोरा	जे.एम.एफ.सी.	०३, १२/०४/२०२६
२	सुश्री ऋतंभरा राजे	जे.एम.एफ.सी.	०४, १४/०४/२०२६
३	श्री शिवम सोनी	जे.एम.एफ.सी.	०५, १९, २६/०४/२०२६

तहसील खाचरौद			
1	श्रीमती शैफाली सिंह	जे.एम.एफ.सी.	03, 05, 14 / 04 / 2026
2	श्री पंकज बुटानी	जे.एम.एफ.सी.	04, 12, 19, 26 / 04 / 2026

नोट :-

- माननीय न्यायालय अथवा राज्य शासन द्वारा उपरोक्त अवधि में उक्त आकस्मिक/स्थानीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई आकस्मिक/स्थानीय अवकाश घोषित करने की स्थिति में एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में नहीं है, उस अवकाश वाले दिन मुख्यालय उज्जैन में श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन रिमाण्ड का कार्य करेंगे एवं अन्य तहसीलों में ऐसे आकस्मिक/स्थानीय अवकाश वाले दिन तहसील में पदस्थ सबसे वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड का कार्य आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे।
- मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्य/विपरीत परिस्थितियों में आपस में रिमाण्ड ड्युटी की दिनांक में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति लेकर परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन को देवें और इस संबंध में स्टाफ को सूचित करें।
- रिमाण्ड ड्युटी के समय यदि कोई मजिस्ट्रेट प्रशिक्षण/स्थानांतरण/ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जाने के कारण/अपरिहार्य कारण से उपलब्ध नहीं है, तो उनके न्यायालय का कार्य सम्पादित करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्युटी की जावेगी, किन्तु उक्त प्रशिक्षण/स्थानांतरण से प्रभावित मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि उक्त कारण की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन को आवश्यक रूप से सूचित करे।
- यदि आदेश में उल्लेखित किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाता है, तो उसके स्थान पर आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट (उसके उत्तराधिकारी) द्वारा उस दिन की रिमाण्ड ड्युटी सम्पादित की जावेगी एवं यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं होती है, तो मुख्यालय में पदस्थ सबसे वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके स्थान पर रिमाण्ड ड्युटी सम्पादित की जावेगी।

(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

क्रमांक : 432 / 2026 उज्जैन, दिनांक- 26 / 03 / 2026

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- श्री/श्रीमति/कु. श्रीमती ए.सी.जे.एम/जे.एम.एफ.सी. उज्जैन/नागदा/खाचरौद/बड़नगर/महिदपुर/तराना, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ई-मेल/वाट्सअप के माध्यम से प्रेषित।
- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन उज्जैन/नागदा/खाचरौद/बड़नगर/महिदपुर/तराना जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला अभियोजन अधिकारी, अभियोजन कार्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सिस्टम आफिसर/सिस्टम असिस्टेंट उज्जैन की ओर सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक रूप से ई-मेल से सूचित करने हेतु प्रेषित।

(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)